

सीएसएसएस अधिकारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति हेतु संवर्ग निकासी लेने संबंधी प्रपत्र

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | अधिकारी का नाम | |
| 2. | सामान्य वरिष्ठता सूची (सीएसएल) सं. | |
| 3. | जन्म की तिथि | |
| 4. | धारित वर्तमान पद | |
| 5. | क्या नियमित/तदर्थ हैं | |
| 6. | वेतनमान | |
| 7. | मूल वेतनमान | |
| 8. | क्या परीवीक्षा पूरी कर ली है, यदि लागू हो तो (हां/नहीं दर्शाएं) | |
| 9. | आवेदित पद | |
| 10. | आवेदित पद का वेतनमान | |
| 11. | क्या यह आवेदन खुले विज्ञापन अथवा विभागीय परिपत्र के लिए है (विज्ञापन/परिपत्र की प्रति संलग्न की जानी है) | |
| 12. | क्या प्रस्तावित प्रतिनियुक्ति, केन्द्र सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय/प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग में किसी पद के लिए है (ब्यौरा दिया जाना है) | |
| 13. | क्या यह संगठन, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम या कोई स्वायत्तशासी निकाय है, क्या आवेदित पद को लोक उद्यम विभाग या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 'तत्काल आमेलन' के नियम से छूट दी गई है (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के का.जा.सं. 4/78/2006) | |
| 14. | क्या अधिकारी, आवेदित पद की पात्रता शर्तों को पूरा करता है | |
| 15. | क्या अधिकारी वर्तमान में किसी संवर्ग-बाह्य पद पर है (हां/नहीं दर्शाएं) | |
| 16. | (क) क्या अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर किसी संवर्ग-बाह्य पद से प्रत्यावर्तन के पश्चात् किसी संवर्ग पद में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। (हां/नहीं दर्शाएं) (ख) यदि अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति विदेश सेवा पर किसी संवर्ग-बाह्य पद से प्रत्यावर्तन के पश्चात् किसी संवर्ग पद में तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं तो उपर्युक्त 15 (क) की शर्त को माफ करने के लिए मंत्रालय/विभाग की सिफारिशों/मत (संक्षेप में) | |
| 17. | क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित है अथवा विचाराधीन है (हां/नहीं दर्शाएं)। यदि हां, तो संवर्ग की सिफारिशों का स्तर और कारण | |
| 18. | यदि अधिकारी पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर रहा/रही है, तो जिस प्रशिक्षण में भाग लिया है उसका तथा उसकी अवधि का ब्यौरा | |
| 19. | जिस ग्रेड में अधिकारी कार्यरत है उसमें स्वीकृत पदसंख्या के लिए पदस्थ अधिकारियों संबंधी सूचना (क) ग्रेड में पदों की कुल संख्या (ख) ग्रेड में तैनात अधिकारियों की संख्या | |

- (क) यह प्रमाणित किया जाता है कि संवर्ग निकासी के लिए अनुशंसित अधिकारी को कार्यमुक्त करने से जहां तक संवर्ग के प्रबंधन का संबंध है, कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी।
- (ख) विज्ञापन की प्रति संलग्न है।
- (ग) यह सत्यापित किया गया है कि आवेदित पद को लोक उद्यम विभाग (पीएसयू के मामले)/ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (स्वायत्तशासी निकायों के मामले में) द्वारा तत्काल आमेलन के नियम से छूट प्रदान की गई है।

(हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम एवं मुहर:

दिनांक:

* (इस पर उस मंत्रालय/विभाग/संगठन में प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जहां अधिकारी कार्यरत है)